



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।


क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ / 2019-20 / 343

दिनांक : 23/12/19

-:: कार्यालय आदेश ::-

संचालक मण्डल की बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में बोर्ड सचिव को बोर्ड कार्यों के क्रियान्वयन हेतु खर्च करने या स्वीकृत करने के अधिकार को राशि रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/- तक किये जाते हैं।

उक्त आदेश को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता(मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक-अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त
5. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड
6. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स.एवं मुख्यलेखाधिकारी/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक (विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निजी सहायक-वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी का मेल करें।
9. सहायक निदेशक जनसम्पर्क अधिकारी नगरीय विकास विभाग, रा. आ., म., जयपुर।
10. कार्यालय प्रति।


वित्तीय सलाहकार